By
Rahul Kumar Jha
Dept.of Political Science

Lecture-4

Topic – Constituent Assembly

Class – B.A. Degree-II (Hons, P-III)

Subject – Political Science

Date – 14 July, 2020

By Rahul Kumar Jha

संविधान सभा :-

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी ने 5-7 दिसंबर, 1934 को पटना में हुई अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसके द्वारा संयुक्त संसदीय समिति (1933-34) की रिपोर्ट में अनुमोदित भारतीय संवैधानिक सुधार की योजना को ठुकरा दिया गया तथा इस मत को दोहराया गया कि इस योजना का एकमात्र विकल्प यही है कि संविधान सभा एक संविधान तैयार करे।

साइमन आयोग तथा गोलमेज सम्मेलन की जिस विफलता के कारण, भारतीय

आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए. भारत शासन एक्ट, 1935 बनाया गया, उसने भारत की जनता के लिए संविधान सभा की मांग को बल प्रदान किया। कांग्रेस ने अप्रैल, 1936 में अपने लखनऊ अधिवेशन में एक प्रस्ताव स्वीकार किया। उसमें उसने घोषणा की कि किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत स्वीकार नहीं करेगा। संविधान भारत की जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए।

चूंकि कांग्रेस ने 1935 के अधिनियम को पूरी तरह से ठुकरा दिये तथा नई संविधान सभा की मांग के मुद्दों पर प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव लड़े थे, अतः चुनावों में

2020/7/14

भारी विजय के बाद इसने 18 मार्च, 1937 को दिल्ली में एक प्रस्ताव पारित कर द्वारा दिया कि निर्वाचकों ने संविधान सभा की मांग का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव में 'वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर आधारित संविधान बनाने की मांग की गई थी।

इस मांग को मार्च, 1937 में दिल्ली में हुए कांग्रेसी विधायकों के अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में दृढ़ता के साथ दोहराया गया। अगस्त-अक्टूबर, 1937 के दौरान, केंद्रीय विधान सभा तथा कांग्रेस शासित प्रत्येक प्रांत की प्रांतीय विधानसभाओं ने ऐसे ही प्रस्ताव पास किए। इनमें स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के वास्ते संविधान सभा का गठन करने की कांग्रेस की मांग को दोहराया गया था।

CHAPTER CONTINUES....